



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072021-228603
CG-DL-E-30072021-228603

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2813]
No. 2813]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2021/श्रावण 8, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2021/SHRAVANA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2021

का.आ. 3035(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के पटियाला जिले में नव प्रस्तावित (ग्रीन फील्ड) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (प्रस्तावित किया जाना है) उत्तरी पटियाला बाईपास अनुभाग के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 27.350 (पटियाला) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी, पटियाला को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य के पटियाला जिले में नव प्रस्तावित (ग्रीन फील्ड) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (प्रस्तावित किया जाना है) उत्तरी पटियाला बाईपास अनुभाग के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 27.350 (पटियाला) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: पटियाला			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: पटियाला					
गांव का नाम: घलोरी (69)					
1	16//24/3Min	निजी	गैर मुमकिन तोआ	0.0206000(हेक्टेयर)	0.0206000
2	16//25/3Min	निजी	गैर मुमकिन खतानी	0.0710000(हेक्टेयर)	0.0710000
3	31//12/1Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0571000(हेक्टेयर)	0.0571000
4	31//13/2Min	निजी	गैर मुमकिन खतानी	0.0591000(हेक्टेयर)	0.0591000
5	31//19/1Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.1036000(हेक्टेयर)	0.1036000
6	31//21/1/2Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0186000(हेक्टेयर)	0.0186000
7	31//21/2/1Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0707000(हेक्टेयर)	0.0707000
8	31//22Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0024000(हेक्टेयर)	0.0024000
9	31//4/2Min	निजी	गैर मुमकिन तोआ	0.1184000(हेक्टेयर)	0.1184000
10	31//5Min	निजी	गैर मुमकिन तोआ	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
11	31//7/2Min	निजी	गैर मुमकिन खतानी	0.0159000(हेक्टेयर)	0.0159000
12	31//8/2/2Min	निजी	गैर मुमकिन	0.1005000(हेक्टेयर)	0.1005000
13	34//1/2min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0006000(हेक्टेयर)	0.0006000
गांव का नाम: सनौर					
1	67//16/1Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0907000(हेक्टेयर)	0.0907000
2	68//10/1Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0051000(हेक्टेयर)	0.0051000
3	68//11/2Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.1088000(हेक्टेयर)	0.1088000

4	68//12/2Min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0468000(हेक्टेयर)	0.0468000
5	68//20/2min	निजी	एग्रीकल्चर	0.0488000(हेक्टेयर)	0.0488000
कुल				0.9412	0.9412

[फा. सं. LA/11013/LACMinutes/2020(computer no. 5369/3A)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2021

S.O. 3035(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed (Green Field) Highway No. (Yet to be assigned) in the stretch of land Northern Patiala Bypass from Km 0.000 to Km 27.350 (Patiala) in the district of PATIALA in the state of PUNJAB, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Revenue Officer, Patiala in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Newly Proposed (Green Field) Highway No. (Yet to be assigned) in the stretch of land Northern Patiala Bypass from Km 0.000 to Km 27.350 (Patiala) in the district of PATIALA in the state of PUNJAB.

State: PUNJAB		District: PATIALA			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Patiala					
Village: Ghalori (69)					
1	16//24/3Min	Private	Gair Mumkin Toa	0.0206000(Hectare)	0.0206000
2	16//25/3Min	Private	Gair Mumkin Khatan	0.0710000(Hectare)	0.0710000
3	31//12/1Min	Private	Agriculture	0.0571000(Hectare)	0.0571000
4	31//13/2Min	Private	Gair Mumkin Khatan	0.0591000(Hectare)	0.0591000
5	31//19/1Min	Private	Agriculture	0.1036000(Hectare)	0.1036000
6	31//21/1/2Min	Private	Agriculture	0.0186000(Hectare)	0.0186000

7	31//21/2/1Min	Private	Agriculture	0.0707000(Hectare)	0.0707000
8	31//22Min	Private	Agriculture	0.0024000(Hectare)	0.0024000
9	31//4/2Min	Private	Gair Mumkin Toa	0.1184000(Hectare)	0.1184000
10	31//5Min	Private	Gair Mumkin Toa	0.0025000(Hectare)	0.0025000
11	31//7/2Min	Private	Gair Mumkin Khatan	0.0159000(Hectare)	0.0159000
12	31//8/2/2Min	Private	Gair Mumkin	0.1005000(Hectare)	0.1005000
13	34//1/2min	Private	Agriculture	0.0006000(Hectare)	0.0006000
Village: Sanaur					
1	67//16/1Min	Private	Agriculture	0.0907000(Hectare)	0.0907000
2	68//10/1Min	Private	Agriculture	0.0051000(Hectare)	0.0051000
3	68//11/2Min	Private	Agriculture	0.1088000(Hectare)	0.1088000
4	68//12/2Min	Private	Agriculture	0.0468000(Hectare)	0.0468000
5	68//20/2min	Private	Agriculture	0.0488000(Hectare)	0.0488000
Total				0.9412	0.9412

[F. No. LA/11013/LACMinutes/2020(computer no. 5369/3A)]

RAJESH GUPTA, Director